

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

FOR

SELECTION OF AGENCY (NGO/FIRM/COMPANY/COPERATIVE SOCIETY/
INSTITUTION)

TO

IMPLEMENTATION AND RUNNING SPICES STAKE HOLDERS
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENTS PROGRAMME (EDP) AND
HANDHOLDING

REF No: F-34() RSAMB/spice cell/EDP/2023-24/7088 Date 26.07.2023

RAJASTHAN STATE AGRICULTURE MARKETING BOARD, JAIPUR
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Page 9

For

/

By

सूची (contents)		
क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निविदा आमंत्रण पत्र	3
2	प्रार्थी एजेंसी के लिए निर्देश	4-7
3	संदर्भ की शर्तें (TOR)	8-18
4	एजेंसी के योग्यता मापदण्ड (QUALIFICATION CRITERIA)	15-16
5	निविदा प्रस्तुतीकरण (Bid Submission)	16-17
6	निविदा मूल्यांकन (Bid Evaluation)	17-18
7	बातचीत द्वारा Negotiations	18
8	एजेंसी को निविदा देना (Award of Contract to Agency)	18
9	गोपनीयता (Confidentiality)	18
10	विवाद का निपटान	18
11	अनुबंध समाप्त की प्रक्रिया	18
12	परिशिष्ट एवं प्रपत्र	19-40
13	अनुबंध	41-47

अनुबंध

कल

1

अनुबंध

**Government of Rajasthan
Rajasthan State Agriculture Marketing Board (RSAMB),
Pant Krishi Bhawan, Jaipur**

NOTICE INVITING E- BID

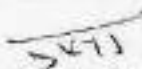
Bid Ref. No.: P 34()RSAMB/Spice Cell/EDP/ 2023-24/ 7088

dated: 26/07/2023

Rajasthan State Agriculture Marketing Board (RSAMB), Jaipur on behalf of Government of Rajasthan invites e-Bid proposal for selection of reputed Institution/organization/NGO/Firm/Cooperative Society, who meet the minimum eligibility criteria as specified in this Bid document for conducting Entrepreneurship Development Programme (EDP) of 200 Spice Stakeholder (Spice Producing Farmers, Spice Processors, Spice merchant and potential Spice Exporters for Promotion of Spice Export in State at Jaipur, Ajmer, Kota and Jodhpur Division of Rajasthan. Prospective bidder may apply for submit bid accordingly and fulfil the eligibility criteria mentioned in bid document.

Name of the work	Conduct Entrepreneurship Development Programme (EDP) of 200 Spice Stakeholders (Spice Producing Farmers, Spice Processors, Spice merchant and potential Spice Exporters) in Jaipur, Ajmer, Kota and Jodhpur Division of Rajasthan, for Promotion of Spice Export in the State.
Bid Cost (Approximate Cost)	Rs. 200 lacs
Cost of Bid Document	Rs. 1000/- (Rupees One Thousand Only)
Processing Fee	Rs. 2000/- (Rupees two Thousand Only)
Bid security	Bid security will be 2.0% for general firms and 0.50 percent of small scale firms and 1.0 percent of sick industries other than small scale industries of total estimated cost of work.
Performance security (at DIDS level)	Performance Security will be 5 % of total cost. Additional performance security will be applicable if unbalance Bid.
Bid publishing Date/ Time	01.08.2023 at 03:00 PM
Bid document download Date/ Time	01.08.2023 at 05:30 PM to 07.09.2023 at 03:00 PM
Pre Bid Meeting	10.08.2023 on 3:00 PM at RSAMB, Pant Krishi Bhawan, Jaipur
Bid submission Date/ Time	18.08.2023 at 5:30 PM to 07.09.2023 at 4:00 PM
Technical Bid Opening Date/ Time	08.09.2023 at 3:00 PM
Websites for upload and downloading Bid document, Corrigendum's, Addendums etc	http://eproc.rajasthan.gov.in http://Spmp.ref.gov.in <i>rajasthan</i> On RSAMB website- https://agriculture.rajasthan.gov.in/rsamb/#/home/dptHome , only Bid documents, amendments and bid related information can also be downloaded.
Bid validity period	180 days from the last date of submission of bid

In case, any of the bidders fails to physically submit the e-challan/DD/BC of Bid document Fee, Processing Fee and Bid security fee up to 08.09.2023 at 11.30 AM, bid shall not be accepted. The provision of RTTP Act 2012 & Rules 2013 shall be applicable for this bid. Furthermore, in case of any inconsistency in any of the provision of this bidding document with the RTTP Act 2012 & Rules 2013 and subsequent amendments thereto, the later shall prevail. Financial Bid opening date will be decided after scrutiny and finalization of technical Bid.


(Pushpa Satyani)
Administrator

Rajasthan State Agriculture Marketing Board, Jaipur

B. प्रार्थी एजेन्सी के लिए निर्देश (INSTRUCTIONS TO THE APPLICANTS AGENCY):-

क्र.सं.	विवरण
1.	उपापन की विषय वस्तु राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा राज्य में मसाला उत्पादन, मसाला प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा संभागों में मसाला 200 हिताधारकों के लिए उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) संचालित कर हैड होलिंग तक कार्य चयनित एजेन्सी के माध्यम से करवाया जाना है।
2.	बोली से संबंधित दस्तावेज, संशोधन आदि प्राप्त करने एवं upload करने की वेबसाइट Website— http://Sppp.rajasthan.gov.in/eproc.rajasthan.gov.in रा.रा.कृ.वि.बोर्ड की वेबसाइट https://agriculture.rajasthan.gov.in/rsamb/#/home/dpt/home से भी केवल बोली से संबंधित दस्तावेज, संशोधन आदि download करके प्राप्त किये जा सकते हैं।
3.	बोली दस्तावेजों का मूल्य राशि रुपये 1000 प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, के पक्ष के डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रस्तुत करना होगा। जो तकनीकी निविदा खुलने से पूर्व निर्धारित समय तक रा.रा.कृ.वि.बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा। जिसका साक्ष्य ऑनलाइन निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4.	बोली प्रक्रिया शुल्क राशि रु 2000 बोली प्रक्रिया शुल्क MD RSL के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रस्तुत करना होगा, जो तकनीकी निविदा खुलने से पूर्व निर्धारित समय तक रा.रा.कृ.वि.बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा। जिसका साक्ष्य ऑनलाइन निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना होगा।
5.	अनुमानित उपापन लागत 200 लाख रुपये
6.	निविदा प्रकाशित करने की तिथि व समय दिनांक 01.08.2023 सायं 3.00 बजे
7.	ऑनलाइन निविदा डाउनलोड करने की तिथि व समय दिनांक 01.08.2023 को सायं 5:30 से 07.09.2023 को सायं 3.00 बजे तक
7.	प्रि बिड बैठक दिनांक, समय व स्थान दिनांक 10.08.2023 सायं 3.00 बजे रा.रा.कृ.विपणन बोर्ड, पत कृषि भवन जयपुर
8.	ऑनलाइन निविदा अपलोड करने की तिथि व समय दिनांक 18.08.2023 को सायं 5:30 से 07.09.2023 को सायं 4.00 बजे तक
10.	ऑनलाइन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय दिनांक 08.09.2023 को सायं 3.00 बजे

(Handwritten signatures and marks)

11.	बोली प्रस्तुत करने एवं बोली खोलने का स्थान	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से कार्यालय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर
12.	बोली की वैधता	बोली की वैधता, बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से 180 दिनों तक रहेगी।
13.	सशर्त बोली	सशर्त बोलियों स्वीकार नहीं की जावेंगी।
14.	बोली लगाने वालों की पात्रता	1. बोली दाता दिवालिया या ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। बोली दाता कार्य को सब लेट नहीं करेगा। 2. बोलीदाता केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में इंडित/त्याग हुआ नहीं होना चाहिए।
15.	बोलीदाता की योग्यता	सन्दर्भ की शर्तों (TOR) में निर्धारित योग्यता के मापदण्ड के अनुसार
16.	बोली प्रतिभूति राशि	1. बोली प्रतिभूति राशि निविदा राशि की 2 प्रतिशत रहेगी, परन्तु small scale firms के मामलों में यह 0.5 प्रतिशत या Sick उद्योगों के मामलों में यह 1 प्रतिशत रहेगी। 2. प्रतिभूति राशि के लिए बैंक डी.डी./बैंकर्स चैक प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के नाम से बनवाकर तकनीकी निविदा खुलने से पूर्व निर्धारित समय तक प्रशासक, राज.कृ.विपणन बोर्ड, जयपुर को जमा कराना होगा, जो कि असाफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार (अनुबंध) हस्ताक्षर करने के उपरांत कर दिया जावेगा।
17.	बोली को प्रस्तुत करना	A. बोली दाता को बोली निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रस्तुत करना होगा। B. तकनीकी एवं वित्तीय बोली के साथ प्रस्तुत सभी दस्तावेजों पर बोलीदाता को हस्ताक्षर करने होंगे। C. तकनीकी बोली के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे— 1. प्रार्थी एजेंसी का पंजीकृत संस्था होने का प्रमाण-पत्र 2. गत 3 वर्षों (वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22) में किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति 3. प्रार्थी एजेंसी के पांच विषय विशेषज्ञों के सी.वी. (curriculum vitae) 4. प्रार्थी एजेंसी का सरकार/कृषि विश्वविद्यालय/अन्य संस्थाओं के साथ कार्य करने संबंधित दस्तावेज 5. प्रार्थी एजेंसी को CAPART, राजस्थान सरकार/भारत सरकार/अन्य Donor संस्था से Black List नहीं होने का शपथ-पत्र 6. एजेंसी की आवश्यक योग्यता होने के प्रमाण के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज। 7. Income tax Clearance की नवीनतम प्रति या उपरोक्त के संबंध में बोलीदाता का Undertaking/शपथ पत्र (100 रु० में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) 8. पेन कार्ड की प्रति 9. गत 3 वित्तीय वर्षों (वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22) में प्रतिवर्ष औसत राशि रुपये 5 करोड़ औसत टर्न ओवर होना आवश्यक है। इस हेतु सीए के UDIN नंबर सहित प्रमाण पत्र

(Handwritten signatures and text)

		एवं बिलेन्स सीट संलग्न करें। 10. प्रतिभूति शुल्क व दस्तावेज शुल्क राशि को डी.डी./बैंकर्स चेक प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के नाम देय होगी। 11. बोलीदाता का विवरण प्रपत्र 12. शपथ पत्र 13. आवेदन शुल्क (राशि रुपये 1000/-) व बोली शुल्क (Bid Security) का डी.डी./बैंकर्स चेक व बोली प्रक्रिया शुल्क ई-चालान से जमा करवाने की प्रति। 14. निविदा के सभी प्रपत्र एवं दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। 15. एनेक्जर A,B,C एवं D जिसमें एनेक्जर B 500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करावें। 16. कार्य अनुभव प्रपत्र 17. योग्यता से संबंधित सभी दस्तावेज 18. निर्धारित वित्तीय बोली प्रपत्र 19. निविदा में उल्लेखित सभी दस्तावेज जो निविदा के लिए आवश्यक हैं।
18	बोली कार्यवाहियों को रद्द करने और समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार	1. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के पास बोली कार्यवाहियों को रद्द करने और समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस करार के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद एवं प्रसंग "प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर" द्वारा निपटाए जावेंगे। प्रकरण प्रथम अपील अधिकारी सचिव, कृषि विभाग एवं द्वितीय अपील अधिकारी वित्त सचिव, वित्त विभाग होंगे। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
19	बोली की कीमत	1. बोली दस्तावेजों में संलग्न निर्धारित वित्तीय बोली प्रपत्र में ही बोलीदाता को बोली की कीमत सुरुपट अंकों एवं शब्दों में अंकित करनी होगी। 2. वित्तीय बोली में बोली की कीमत को अंतिम माना जावेगा, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। 3. बोली की कीमत में उपरोक्त कार्य की कीमत में अतिरिक्त सभी प्रकार के Taxes आदि को सम्मिलित करते हुये, बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।
20	कार्य का विवरण	1. निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कार्य करना होगा। 2. बोलीदाता को बोली दस्तावेजों में वर्णित कार्यों को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नियंत्रण अधिकारियों के निर्देशानुसार सम्पादित करना होगा।
21	कार्य का स्थान	राज्य के जयपुर, अजमेर, जोधपुर एवं कोटा संभाग
22	बोली प्रतिभूति समपद्धत	1. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपद्धत कर दी जावेगी- 2. जब बोली लगाने वाला बोली खोलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है। 3. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्ष आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार (अनुबंध) यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

6

		4. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्ण आदेश के अनुसार सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है। 5. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्ण आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है। 6. यदि बोली लगाने वाला, विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
23	कार्य सम्पादन प्रतिभूति	1. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदा राशि की 5 प्रतिशत देनी होगी। 2. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि डी.डी./बैंक खाता संख्या..... में RTGS/NEFT/बीजी के माध्यम से जमा करवानी होगी जो कि प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पक्ष में देय होगी। 3. बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकेंगी।
24	करार पत्र का निष्पादन	1. बोली लगाने वाले को, कार्यालय से स्वीकृत पत्र/आशय पत्र जारी होने के निर्देशानुसार या 15 दिवस में उसके खर्च रु0 500/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार अनुबंध निष्पादित करना होगा।
25	बोली प्रक्रिया	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से बोली आमंत्रित की जावेगी।
26	बोली मूल्यांकन की कसौटी	तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं के ही वित्तीय बोलियों के तुलनात्मक विवरण के आधार पर उपापन समिति द्वारा उपरोक्त कार्य के लिए सबसे कम दर प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता का चयन किया जावेगा, साथ ही उपरोक्त प्राप्त दरें उपयुक्त होने की दशा में ही उपापन समिति द्वारा कार्यदेश दिये जाने की सिफारिश की जावेगी।
27	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा।
28	भुगतान	1. निविदा राशि एवं मापदण्ड अनुसार राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा राशि का भुगतान किया जावेगा। 2. प्रस्तुत बिल पर नियमानुसार जी.एस.टी., टी.डी.एस. एवं अन्य करों की कटौति कर भुगतान किया जावेगा।
29	निविदादाता द्वारा नियमों की पालना करना	1. इस निविदा पर आरटीपीपी एक्ट 2012 नियम 2013 लागू होंगे। यदि निविदा व आरटीपीपी के उपबंधों में कहीं असंगतता है तो आरटीपीपी एक्ट 2012 नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे। 2. बोलीदाता को किसी उपापन संस्था/राज्य सरकार द्वारा विवर्जित (Debarred) कर दिया गया हो तो बोली लगाने के लिए योग्य नहीं होगा। (RTTP Act धारा 46) 3. उक्त विवर्जित दस्तावेज में मूलवश कोई बिन्दु छूट गया है तो सम्पूर्ण निविदा पर आरटीपीपी अधिनियम व नियम GF & AR लागू होगी।
30	बोलीदाता का घोषणा पत्र	बोलीदाता को परिशिष्ट-5 के अनुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
31	बोलीदाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के लिए आवश्यक सभी प्रपत्र एवं दस्तावेज संलग्न करने होंगे।	

मेनक 9

मिहिराम

कापकी 9

फरद 8

C. संदर्भ की शर्तें (Term of Reference)

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा राज्य में मसाला उत्पादन, मसाला प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा संभागों में मसाला हितधारकों के लिए को मसाला उद्यमी एवं निर्यातक के रूप में तैयार करने हेतु उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) संचालित कर हैंड हॉल्टिंग तक कार्य करने हेतु गैर सरकारी संस्था (NGO)/फर्म/सहकारी समिति/संस्था/कंपनी का चयन करने के संदर्भ की शर्तें (TOR) निम्नानुसार हैं-

1. पृष्ठभूमि :-

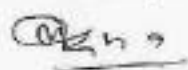
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, के अधीन राज्य में मसाला उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं मसाला निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मसाला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। मसाला निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के जयपुर, अजमेर, जोधपुर एवं कोटा संभाग में 200 मसाला हितधारकों के लिए उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) का संचालन कर मसाला हितधारकों के लिए हैंड हॉल्टिंग कार्य के लिए एजेंसी का चयन कर उसके माध्यम से उक्त कार्य करवाया जाना है।

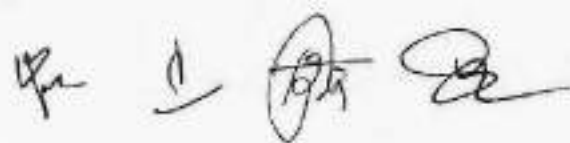
2. उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) के उद्देश्य:-

एजेंसी द्वारा चयनित मसाला हितधारकों में मसाला प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं निर्यात हेतु उद्यमता विकास कर उनकी हैंड हॉल्टिंग तक कार्य करना मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए एजेंसी को निम्नानुसार उद्देश्यों की पूर्ती के लिए कार्य करना होगा:-प्रगतिशील मसाला उत्पादक कृषक/एफ.पी.ओ., प्रसंस्करणकर्ता, व्यवसायी एवं संभावित मसाला निर्यातक (Potential Exporter) में एजेंसी द्वारा उद्यमता विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रगतिशील मसाला उत्पादक कृषकों/ एफ.पी.ओ. में मसाला प्रसंस्करण, मसाला व्यवसाय एवं मसाला निर्यात के संबंध में पूर्ण रूप से उद्यमता (Entrepreneurship) कर उनकी हैंड हॉल्टिंग का कार्य करना होगा।

3. लाभार्थियों का चयन :-

- राज्य के कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर संभाग में उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) के लिए मसाला हितधारकों के चयन के लिए बोर्ड के निर्देशानुसार एजेंसी द्वारा सर्वे के माध्यम से मसाला हितधारकों की सूची तैयार करनी होगी।
- निर्यात कार्य को सुविधाजनक करने के लिए लाभार्थी चयन करते समय ये ध्यान रखा जाएगा कि लाभार्थी कम से कम सैकोण्टरी उत्तीर्ण हो तथा अंग्रेजी का ज्ञान रखता हो।
- उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) के लिए 200 मसाला हितधारकों का चयन करने के लिए एजेंसी द्वारा संबंधित क्षेत्र संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग से विचार-विमर्श कर बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से अनुमोदन करवाना होगा।





- IV. एजेंसी द्वारा उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) के लिए निम्नानुसार 200 मसाला हितधारकों का चयन करना होगा :-

क्र.सं.	लाभार्थी विवरण	लाभार्थी संख्या
1	प्रगतिशील मसाला उत्पादक कृषक/एफ.पी.ओ	50
2	मसाला प्रसंस्करणकर्ता	50
3	मसाला व्यवसायी	50
4	संभावित मसाला निर्यातक (Potential Exporter)	50
	योग	200

- V. एजेंसी द्वारा बिन्दु संख्या -III के अनुसार उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) के लिए तैयार की गई मसाला हितधारकों की सूची राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को कार्य आदेश जारी होने के 2 माह में उपलब्ध करवानी होगी।
- VI. एजेंसी द्वारा मसाला हितधारकों की सूची तैयार करते समय राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, पीएमएफएमई योजना में अनुदान प्राप्त कर स्थापित की गई प्रसंस्करण ईकाइयों को उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) के लिए चयन में प्राथमिकता दी जाएगी तथा जोधपुर में स्थापित की जा रही जीरा एवं इत्तबगोल की निर्यात आधारित प्रस्तावित 10 प्रसंस्करण ईकाइयों को उद्यमता विकास कार्यक्रम के लिए चयन करना आवश्यक होगा।
- VII. एजेंसी को मसाला उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) के लिए तैयार सूची अनुसार मसाला हितधारकों की बैठक कर मसाला प्रोत्साहन की गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध करवाते हुए उनके उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) कार्यक्रम में भाग लेने की लिखित में अनुमति देनी होगी।
- VIII. एजेंसी द्वारा उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) शुरू करने से पूर्व तैयार सूची के अनुसार लाभार्थी मसाला हितधारकों की विभागीय निर्देशानुसार आवश्यकता होने पर समय-समय पर बैठक आयोजित करवानी होगी।
- IX. एजेंसी द्वारा उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) आरम्भ करने से पूर्व लाभार्थी मसाला हितधारकों की अन्तिम (Final) सूची विभाग से अनुमोदन करवाते हुए प्रत्येक लाभार्थी मसाला हितधारक की पूर्ण जानकारी **परिशिष्ट-1** पर संलग्न प्रपत्र में पूर्ण करके उपलब्ध करवानी होगी।
- X. एजेंसी द्वारा चयनित लाभार्थियों से उद्यमता विकास कार्यक्रम के अनुसार सभी प्रशिक्षणों/भ्रमण में भाग लेकर उद्यमता विकास कार्यक्रम की भावना के अनुरूप मसाला प्रोत्साहन गतिविधियां को अपनाते हुए भविष्य में कार्य करने का सहमति लेना होगा।
- XI. एजेंसी द्वारा लाभार्थी चयन सूची को बोर्ड से अनुमोदित करवाने के उपरान्त उद्यमता विकास कार्यक्रम संचालित करना होगा तथा कार्यक्रम के बीच में कोई लाभार्थी कारणवश कार्यक्रम में भाग लेना जारी नहीं रखता एवं बीच प्रशिक्षण छोड़ देता है तो ऐसी परिस्थिति में उसके स्थान पर नये लाभार्थी को चयन कर प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। इसके लिए एजेंसी द्वारा लाभार्थियों प्रतिष्ठा सूची तैयार कर उपलब्ध करवानी होगी। इसमें एजेंसी के लिए आवश्यक है कि कुल 200 लाभार्थियों में 10 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी कार्यक्रम को बीच में नहीं छोड़ने के संबंध में सुनिश्चित करना होगा।

4. उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) के लिए क्षमता विकास (Capacity Building):-

- I. एजेंसी द्वारा लाभार्थी मसाला हितधारकों में मसाला उत्पादन, मसाला प्रसंस्करण, मसाला व्यवसाय एवं मसाला निर्यात की उद्यमता (Entrepreneurship) विकसित करने के लिए प्रैक्टिकल पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुये निम्नानुसार प्रशिक्षण परिशिष्ट- 3 पर संलग्न Training Module के अनुसार विषयवस्तु पर Offline /Physical रूप से करवाना होगा।

S.No.	TRAINING COMPONENT FOR- EDP	MINIMUM TRAINING DURATION (IN DAYS)
1	PROGRAMME ORIENTATION	2
2	STARTING A NEW VENTURE	2
3	VARIOUS STATUTORY AND BUSINESS REGISTRATIONS	2
4	ENTREPRENEUR'S SKILL SETS	2
5	ESTABLISHING THE ENTERPRISE	2
6	OPERATING THE ENTERPRISE	2
7	MARKETING, BRANDING & SALESMANSHIP	2
8	UNDERSTANDING OF BANKING AND FUNDING	2
9	TAXATION AND OTHER STATUTORY COMPLIANCES	2
10	GOVERNMENT SCHEMES FOR ENTREPRENEURS	2
11	SUSTAINABILITY AND GROWTH OF BUSINESS	2
12	LEGAL AND LICENCING	2
13	360 DEGREE SERVICES	3
14	PLANT VISIT	2
15	IMPORT-EXPORT PROCEDURE	2
16	PROCEDURE OF E-COMMERCE	2

- II. एजेंसी द्वारा उपरोक्तानुसार गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने होंगे। इसके लिए प्रशिक्षण करवाने वाले विषय विशेषज्ञ (SME) आवश्यकता अनुसार अनुमती संस्थाओं से Hire करने होंगे तथा उनका विवरण मय C.V. प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव के साथ परिशिष्ट-2 के अनुसार संलग्न करने होंगे।
- III. एजेंसी द्वारा मसाला हितधारकों उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) व हेन्ड हॉलिंग तज के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवश्यकता अनुसार Seeing by Learning and Doing by Learning के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) व हेन्ड हॉलिंग के दौरान Spice Processing Unit, Import -Export Procedure and Plant Visit के लिए कम से कम 04 भ्रमण कार्यक्रम करवाने होंगे।
- IV. एजेंसी द्वारा उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) के लिए जो भी प्रशिक्षण/भ्रमण आयोजित किये जाएंगे उनकी पूर्ण सूचना यथा- प्रशिक्षण विषय-वस्तु, प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल, प्रशिक्षण दिनांक मय

10

समयावधि, लाभार्थियों की सूची, प्रशिक्षण देने वाले Resource Person संबंध में जानकारी की सूचना प्रशिक्षण से पूर्व बोर्ड को उपलब्ध करवानी होगी।

- V. एजेन्सी द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करने के उपरान्त प्रत्येक प्रशिक्षण की एक लिखित रिपोर्ट 07 दिवस में बोर्ड को उपलब्ध करवानी होगी। रिपोर्ट के साथ प्रशिक्षण के प्रत्येक संत्राक का विवरण उपलब्ध करवाना होगा जिसको बोर्ड द्वारा विकसित करवाये जा रहे 'राज स्पाईस एप' पर अपलोड करवाया जाएगा जो कि आवश्यकता होने पर राज्य के सभी मसाला हितधारक एप के माध्यम से उपयोग कर लाभान्वित हो सकेंगे।

5. लाभार्थी मसाला हितधारकों के LEGAL AND LICENCING संबंधित कार्य:-

- I. एजेन्सी द्वारा उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) में प्रत्येक लाभार्थी को निर्यात आधारित मसाला उत्पादन, मसाला प्रसंस्करण, मसाला व्यापार एवं मसाला निर्यात से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।
- II. एजेन्सी द्वारा उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) के मुख्य उद्देश्यों के अनुसार निर्यात आधारित मसाला उत्पादन, मसाला प्रसंस्करण, मसाला व्यापार एवं मसाला निर्यात से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज कुल लाभार्थियों में से कम से कम 70 प्रतिशत लाभार्थी मसाला हितधारकों के तैयार करवाने होंगे। इसके लिए दस्तावेज तैयार करवाने में लगने वाली राशि का वहन स्वयं लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

6. उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) के Milestone:- एजेन्सी को उद्यमता विकास कार्यक्रम के माध्यम से निम्नानुसार Milestone पूर्ण करने होंगे।

- I. एजेन्सी द्वारा उद्यमता विकास कार्यक्रम के लिए चयनित 50 मसाला प्रगतिशील किसानों/एफ.पी.ओ. में से कम से कम 60 प्रतिशत को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करवाते हुए मसाला निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित गतिविधियों यथा- निर्यात आधारित मसाला उत्पादन, मसाला प्रसंस्करण, मसाला व्यापार एवं मसाला निर्यात में से संबंधित गतिविधियों की उद्यमता विकसित करते हुए कम से कम एक गतिविधि यथा- मसाला प्रसंस्करण या मसाला व्यवसाय या मसाला निर्यात से संबंधित कार्य चालू करवाना होगा। मसाला हितधारकों द्वारा उक्तानुसार कोई एक गतिविधि संचालन करने संबंधी प्रमाण एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत करने होंगे।
- II. एजेन्सी द्वारा उद्यमता विकास कार्यक्रम के लिए चयनित 50 मसाला प्रसंस्करणकर्ता जो 'राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019' व पीएफएआई योजना से लाभ प्राप्त करके मसाला प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है अथवा अपने स्तर पर मसाला प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है, उनमें मसाला व्यापार, मसाला प्रसंस्करण एवं मसाला निर्यात से संबंधित उद्यमता (Entrepreneurship) का विकास कर कम से कम 60 प्रतिशत मसाला प्रसंस्करणकर्ताओं को एक क्षेत्र यथा- मसाला व्यापार या मसाला निर्यात से जोड़ना होगा तथा मसाला हितधारकों द्वारा उक्त गतिविधि संचालन करने का प्रमाण एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
- III. एजेन्सी द्वारा उद्यमता विकास कार्यक्रम के लिए चयनित 50 मसाला व्यवसायी को प्रशिक्षित कर मसाला व्यापार, मसाला प्रसंस्करण व निर्यात के क्षेत्र में उद्यमी के रूप में तैयार करना होगा तथा मसाला प्रसंस्करण या मसाला निर्यात में से 60 प्रतिशत मसाला व्यवसायियों को कम से कम एक गतिविधि संचालन का कार्य आरम्भ करवाना होगा। इसके लिए मसाला हितधारक द्वारा गतिविधि चालू करने संबंधी प्रमाण एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

(Handwritten signatures)

- IV. एजेन्सी द्वारा उद्यमता विकास कार्यक्रम के लिए चयनित 50 संभावित मसाला निर्यातक (Potential Exporter) को प्रशिक्षित कर मसाला प्रोत्साहन गतिविधियों को क्षेत्र में उद्यमी के रूप में विकसित करना होगा तथा इनमें से कम से कम 20 प्रतिशत संभावित मसाला निर्यातकों को मसाला निर्यात से जोड़ते हुए मसाला/कृषि निर्यात का कार्य आरम्भ करवाना होगा। एजेन्सी को उनके द्वारा निर्यात कार्य आरम्भ करवाने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए निर्यात करने के लिए प्रमाण के रूप में कम से कम 2 निर्यात करने के Consignment पूर्ण करने के प्रमाण देने होंगे।
- V. उपरोक्तानुसार उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) के माध्यम से मसाला प्रोत्साहन की गतिविधियों को जोड़कर निम्नानुसार Milestone पूर्ण करने का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है, जो एजेन्सी द्वारा उद्यमता विकास कार्यक्रम के माध्यम से करने होंगे।

क्र. सं.	चयनित मसाला हितधारक	संख्या	मसाला प्रोत्साहन गतिविधि			विशेष विवरण
			मसाला प्रसंस्करण	मसाला व्यवसाय	मसाला निर्यात	
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रगतिशील मसाला उत्पादक कृषक/एफ.पी.ओ.	50	हां	हां	हां	कुल 50 प्रगतिशील मसाला उत्पादक कृषक/एफ.पी.ओ. में से 60 प्रतिशत को गतिविधि 4, 5 व 6 में से एक का कार्य आरम्भ करना अनिवार्य
2	मसाला प्रसंस्करणकर्ता	50	हां	हां	हां	कुल 50 मसाला प्रसंस्करणकर्ता में से 60 प्रतिशत को गतिविधि 5 व 6 में से एक का कार्य आरम्भ करना अनिवार्य
3	मसाला व्यवसायी	50	हां	हां	हां	कुल 50 मसाला व्यवसायी में से 60 को गतिविधि 4 व 6 में से एक का कार्य आरम्भ करना अनिवार्य
4	संभावित मसाला निर्यातक (Potential Exporter)	50	हां	हां	हां	कुल 50 संभावित मसाला निर्यातकों में से कम से कम 20 प्रतिशत लाभार्थियों का गतिविधि 8 से जुड़कर निर्यात आरम्भ करना अनिवार्य होगा। इसके लिए निर्यात करने के लिए प्रमाण के रूप में कम से कम 2 कृषि जिन्यों/मसाला निर्यात करने के Consignment पूर्ण करने के प्रमाण देने होंगे।
योग		200	हां	हां	हां	कुल 200 लाभार्थियों में से कम से कम 10 प्रतिशत लाभार्थियों का गतिविधि 6 से जुड़कर निर्यात आरम्भ करना अनिवार्य होगा। इसके लिए निर्यात करने के लिए प्रमाण के रूप में कम से कम 2 कृषि जिन्यों/मसाला निर्यात करने के Consignment पूर्ण करने के प्रमाण देने होंगे।

- VI. एजेन्सी को उपरोक्तानुसार प्रगतिशील मसाला उत्पादक कृषक/एफ.पी.ओ., मसाला प्रसंस्करणकर्ता, मसाला व्यवसाय एवं संभावित मसाला निर्यातकों को उद्यमता विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित कर मसाला प्रोत्साहन गतिविधि संचालन करवाने को एजेन्सी को पूर्ण हेंड होल्डिंग करनी होगी।
- VII. एजेन्सी को उद्यमता विकास कार्यक्रम के लिए चयनित कुल 200 मसाला हितधारकों में से कम से कम 10 प्रतिशत मसाला हितधारकों को निर्यात गतिविधि से जोड़कर मसाला/कृषि निर्यात का कार्य आरम्भ करवाना होगा। इसके लिए निर्यात कार्य आरम्भ करने का प्रमाण एजेन्सी द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत

अनु 9

द्वारा

1

द्वारा

द्वारा

12

करना होगा। इसके लिए निर्यात करने के लिए प्रमाण के रूप में कम से कम 2 निर्यात करने के Consignment पूर्ण करने के प्रमाण देने होंगे।

7. मसाला हितधारकों का Legal Entities में पंजीयन:-

- एजेंसी द्वारा उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) के माध्यम तैयार किये गये उद्यमियों (Entrepreneurs) यथा- निर्यात आधारित मसाला उत्पादक कृषकों, मसाला प्रसंस्करणकर्ताओं, मसाला व्यवसायियों एवं मसाला निर्यातकों के उनकी उद्यमिता (Entrepreneurship) को ध्यान में रखते हुए मसाला प्रोत्साहन के लिए समान रूचि समूह (CIG)/स्वयं सहायता समूह (SHG) के रूप में तैयार करना होगा।
- मसाला प्रोत्साहन गतिविधियों के गठित समान रूचि समूह (CIG)/स्वयं सहायता समूह (SHG) का नियमानुसार आवश्यक रिकॉर्ड संचारित करवाना होगा।
- मसाला प्रोत्साहन गतिविधियों के गठित समूहों को किसी Legal Entities जैसे स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति, उत्पादन समूह में पंजीकृत करवाना होगा।
- मसाला प्रोत्साहन गतिविधियों के गठित समूहों के सदस्यों की समय-समय पर बैठक आयोजित करवानी होगी।

8. मसाला हितधारकों के लिए E-Commerce/E-Marketing का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना:-

- एजेंसी द्वारा राज्य में मसाला व्यवसाय एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उद्यमता विकास कार्यक्रम के माध्यम से 200 लाभार्थियों में से कम से कम 25 प्रतिशत लाभार्थियों को E-Commerce/ E-Marketing से जोड़कर मसाला व्यवसाय शुरू करवाना होगा।
- लाभार्थियों को E-Commerce/ E-Marketing जोड़ने के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देकर इसके लिए प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाना होगा।
- लाभार्थियों को E-Commerce/ E-Marketing से जुड़कर व्यवसाय करने का प्रमाण एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाना होगा।

9. एजेंसी को राशि उपलब्ध करवाने हेतु कार्य Milestone:-

एजेंसी का चयन होने के उपरान्त निम्नानुसार कार्य के Milestone पूर्ण करने पर राशि का भुगतान किया जाएगा:-

क.स.	Milestone पूर्ण होने पर	भुगतान की जाने वाली राशि (%)	विशेष विवरण
1	I. ईडीपी के लिए 200 मसाला हितधारक लाभार्थियों की सूची बोर्ड से अनुमोदन करवाना II. ईडीपी के प्रथम 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण की सूचना III. किये गये कार्य के दस्तावेज एवं विधियों उपलब्ध करवाना।	कुल निविदा राशि का 20 प्रतिशत	कार्य पूर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2	I. ईडीपी के 70 प्रतिशत प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम पूर्ण करना II. लाभार्थी मसाला हितधारकों के LEGAL AND LICENCING संबंधित मसाला प्रोत्साहन गतिविधियों यथा-मसाला प्रसंस्करण, मसाला व्यवसाय एवं मसाला निर्यात के लिए आवश्यक LEGAL AND LICENCING से संबंधित आवश्यक दस्तावेज	कुल निविदा राशि का 50 प्रतिशत	कार्य पूर्ण होने प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

13

(Handwritten signatures and marks)

	तैयार करना III. मसाला हितधारकों का Legal Entity में पंजीयन करवाना। IV. मसाला हितधारकों को मसाला प्रोत्साहन की गतिविधियों यथा- मसाला प्रसंस्करण एवं मसाला व्यवसाय से जोड़कर कार्य आरम्भ करवाना। V. मसाला हितधारकों के लिए E-Commerce/E-Marketing का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना। VI. किये गये कार्य के दस्तावेज एवं विडियो उपलब्ध करवाना।		
3	I. ईडीपी के 100 प्रतिशत प्रशिक्षण एवं श्रमण कार्यक्रम पूर्ण करना। II. ईडीपी के लिए 200 चयनित मसाला हितधारकों में से कम से कम 10 प्रतिशत मसाला हितधारकों द्वारा मसाला निर्यात का कार्य आरम्भ करवाना होगा उसके कम से कम दो Consignment बाहर (अन्य देश में) भेजना आवश्यक होगा। III. किये गये कार्य के दस्तावेज एवं विडियो उपलब्ध करवाना। IV. आवंटित कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने बाबत।	कुल निविदा राशि का 30 प्रतिशत	कार्य पूर्ण होने प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10. प्रशासनिक कार्य एवं रिकार्ड संचारण:- एजेन्सी द्वारा एम.ओ.यू. करने के उपरान्त :-

- एजेन्सी द्वारा ईडीपी का कार्य करने के लिए एक कार्यालय स्थापित करना होगा। जिसके लिए आवश्यक ऑफिस साज-सामग्री यथा- कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।
- एजेन्सी द्वारा मसाला हितधारकों ईडीपी का संचालन करने के लिए प्रत्येक सम्भाग यथा- जयपुर अजमेर, कोटा एवं जोधपुर के लिए एक ईडीपी विषय विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा, जो समय-समय पर आवश्यकता होने पर मसाला हितधारकों की बैठक सहित अन्य कार्य करेगा।
- एजेन्सी द्वारा ईडीपी से संबंधित रिकार्ड संचारित करना होगा तथा आवश्यकता होने पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को उपलब्ध करवाना होगा।
- एजेन्सी द्वारा ईडीपी के लिए चयनित 200 मसाला हितधारकों की ईडीपी से पूर्व एवं ईडीपी कार्य पूर्ण होने के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी सफलता की कहानियां (Success Story) तैयार करनी होगी तथा तैयार सफलता की कहानियों की एक प्रति राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को उपलब्ध करानी होगी।

11. एजेन्सी की रिपोर्टिंग प्रक्रिया:- एजेन्सी द्वारा की जाने ईडीपी की रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नानुसार सूचना प्रेषित करनी होगी :-

अज्ञात

- Contact for Tender Filing and Documentation
 Mob No: +91 - 9630030343
 Helpline: 18008896553
 Email ID: proposals@tenderstimes.com
 Website: www.tenderstimes.com

- होना आवश्यक है। एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- II. प्रार्थी एजेंसी का पिछले 3 वर्षों (वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22) का औसत वार्षिक Turn over (प्रतिवर्ष) कम से कम राशि रु. 5 करोड़ होना चाहिए। इसके लिए प्रमाण के रूप में सीए. के UDIN number के साथ ऑडिट स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होगा।
 - III. प्रार्थी एजेंसी के पास गत 5 वर्षों (वर्ष 2017-18 से 2021-22) में कृषि/मसाला प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात से संबंधित दोनों प्रकार (कृषि/मसाला प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात) के क्षेत्र में प्रशिक्षण करवाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव होने के प्रमाण के रूप में 3 वर्षों में कृषि/मसाला प्रसंस्करण से संबंधित प्रशिक्षण करवाने में कम से कम राशि रुपये 25 लाख एवं कृषि निर्यात से संबंधित प्रशिक्षण करवाने में राशि रुपये 25 लाख का व्यय होना आवश्यक है। एजेंसी के लिए आवश्यक है कि कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष में प्रशिक्षण पर राशि व्यय होनी चाहिए। इसके लिए Donor संस्था/विभाग से राशि प्राप्त होने एवं प्रार्थी एजेंसी द्वारा उक्त प्रशिक्षण पर वर्षवार व्यय होने के प्रमाण के रूप में दस्तावेज संलग्न करने होंगे। एजेंसी के पास उक्तानुसार कार्य करने के अनुभव की सूचना **परिशिष्ट-6 व 7** में प्रस्तुत करनी होगी।
 - IV. प्रार्थी एजेंसी के पास कम से कम 5 विषय विशेषज्ञ जो कम से कम स्नातक डिग्रीधारी एवं कृषि प्रसंस्करण/मसाला प्रसंस्करण एवं 1 विषय विशेषज्ञ कृषि निर्यात से संबंधित उद्यमता विकास कार्यक्रम करवाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखते हो, होना आवश्यक है। प्रमाण के रूप में उक्त विषय विशेषज्ञों के शैक्षणिक एवं अनुभव योग्यता संबंधित दस्तावेज साक्ष्य के रूप में संलग्न करना होगा।
 - V. प्रार्थी एजेंसी द्वारा गत 5 वर्षों (वर्ष 2017-18 से 2021-22) में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के कृषि विभाग/खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय/कृषि विरयविद्यालय/व अन्य कृषि, कृषि प्रसंस्करण / कृषि निर्यात से संबंधित सरकारी संस्थानों के साथ सफलता पूर्वक कम से कम राशि रुपये 25 लाख के प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का अनुभव होना चाहिए। प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे तथा कार्य करने के अनुभव की सूचना **परिशिष्ट-8** में प्रस्तुत करनी होगी।
 - VI. प्रार्थी एजेंसी CAPART, राजस्थान सरकार/भारत सरकार/अन्य कोई Donor संस्था से Black listed नहीं होना चाहिए तथा एजेंसी को उक्तानुसार Black listed नहीं होने संबंधित शपथ पत्र देना होगा।
 - VII. प्रार्थी एजेंसी का राजस्थान राज्य में ग्रामीण/कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्य करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए जिस संस्था/विभाग के साथ राज्य में कार्य करने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
 - VIII. प्रार्थी एजेंसी को पास राजस्थान में प्रशिक्षण हेतु स्वयं का प्रशिक्षण सुविधा केन्द्र (TFC) मय ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रशिक्षण देने की सुविधा होनी चाहिए। प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

15. निविदा प्रस्तुतिकरण (Bid Submission):- एजेंसी द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं अलग-अलग ऑनलाईन निरिषात सनभावधि में प्रस्तुत करनी होगी। निविदाओं में निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

I. तकनीकी निविदा :-

- 1) दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की Power of Attorney संलग्न होनी चाहिए।
- 2) एजेंसी का Registration Certificate, जो अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर युक्त हो, संलग्न होना चाहिए।
- 3) निविदा प्रस्ताव के साथ बोली प्रतिभूति राशि, बोली दस्तावेजों का मूल्य एवं बोली प्रक्रिया शुल्क राशि जमा करवाने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- 4) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्ताव में संलग्न प्रत्येक दस्तावेज पर एजेंसी द्वारा नियुक्त व्यक्ति

16

Amir

Amir

Amir

Amir

Amir

के द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए।

- 5) एजेन्सी के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता (Essential Qualification) के साक्ष्य हेतु उनसे संबंधित सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- 6) अन्य सभी दस्तावेज जो सदर की शर्तें (TOR) एवं बिड की शर्तों के लिए आवश्यक हो संलग्न करने होंगे।

II. वित्तीय निविदा:-

वित्तीय निविदा में मसाला हितधारकों के लिए उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) का संचालन करते हुए उनके लिए हैंड होल्डिंग तक सदर की शर्तें (TOR) के अनुसार कार्य करने के लिए एजेन्सी द्वारा निर्धारित परिशिष्ट- 4 (BoQ) के अनुसार निविदा राशि का उल्लेख कर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय प्रस्ताव की राशि में सभी प्रकार के Taxes को शामिल करते हुए प्रस्तुत करना होगा तथा बाद में राशि भुगतान के समय उल्लेखित राशि के अतिरिक्त कोई भुगतान राशि अलग से देय नहीं होगी।

16. निविदा का मूल्यांकन (Bid Evaluation):- प्राप्त निविदा प्रस्तावों का 3 Stage पर मूल्यांकन किया जाएगा।

Stage -a. जवाबदेही (Responsiveness):-

निविदा प्रस्ताव की Responsiveness निम्नानुसार जांच की जाएगी:-

- a. एजेन्सी का Registration Certificate, जो अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर युक्त हो, संलग्न होना चाहिए।
- b. निविदा प्रस्ताव के साथ बोली प्रतिभूति राशि, बोली दस्तावेजों का मूल्य एवं बोली प्रक्रिया शुल्क जमा करवाने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेज संलग्न करने होंगे तथा तकनीकी निविदा का खुलने से पूर्व बोली प्रतिभूति एवं बोली दस्तावेजों शुल्क राशि के डी.डी / बी.सी. कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
- c. दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की Power of Attorney संलग्न होनी चाहिए।
- d. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्ताव में संलग्न प्रत्येक दस्तावेज पर एजेन्सी द्वारा नियुक्त व्यक्ति के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए।

उक्तानुसार दस्तावेज निविदा प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं होने की स्थिति में निविदा प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाएगा तथा निविदा की आगे की प्रक्रिया यथा- तकनीकी निविदा मूल्यांकन एवं वित्तीय निविदा मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाएगा।

Stage -b. तकनीकी निविदा का मूल्यांकन :-

निविदा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उपापन समिति द्वारा बोली प्रतिभूति राशि, बोली दस्तावेजों का मूल्य एवं बोली प्रक्रिया शुल्क जमा करवाने के साथ प्राप्त होने के उपरान्त सर्वप्रथम तकनीकी निविदा (Technical Bid) खोली जाएगी। निर्धारित योग्यता के अनुसार जिस एजेन्सी के पास सभी योग्यताएं होंगी, उस एजेन्सी को तकनीकी रूप से पात्र माना जाएगा तथा जिस एजेन्सी के पास निर्धारित योग्यता नहीं होगी उसको तकनीकी निविदा में पात्र नहीं माना जाएगा। तकनीकी निविदा में पात्र एजेन्सियों की वित्तीय निविदा खोलने के लिए short list तैयार की जाएगी।

Stage -c. वित्तीय निविदा मूल्यांकन (Financial Bid Evaluation):-

एजेन्सियों से तकनीकी निविदा के साथ-साथ वित्तीय निविदा भी प्राप्त की जाएगी। तकनीकी निविदा को उपापन समिति द्वारा खोलकर निर्धारित योग्यता के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा तथा जिस एजेन्सी के पास निर्धारित सभी योग्यता होंगी, उस एजेन्सी को तकनीकी रूप से योग्य माना जाएगा। तकनीकी निविदा में योग्य एजेन्सियों की Short list तैयार की जाएगी। तकनीकी रूप योग्य एजेन्सियों की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। तकनीकी निविदा मूल्यांकन में अयोग्य एजेन्सी की वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी। वित्तीय निविदा में सदर की शर्तें (TOR) के अनुसार मसाला हितधारकों के लिए उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) संचालित कर हैंड होल्डिंग तक का कार्य करने के लिए एजेन्सी द्वारा सभी Taxes का

के.एन.ए.

कल

17/11/2023

समावेश करते हुए शर्तों का उल्लेख किया जाएगा। खोली गई वित्तीय निविदाओं में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एजेंसीधार तुलनात्मक वित्तीय विवरण तैयार किया जाएगा। जिस एजेंसी की कार्य करने की शर्तों सबसे कम होगी उसको L-1 घोषित किया जाएगा। दो या दो से अधिक एजेंसियों को वित्तीय निविदा में कार्य करने के लिए शर्तों समान होने की स्थिति में जिस एजेंसी का वार्षिक Turn over सबसे अधिक होगा उसको L-1 घोषित किया जाएगा।

17. बातचीत द्वारा Negotiations:-

राजकीय एवं वित्तीय निविदाओं का मूल्यांकन के आधार पर घोषित L-1 एजेंसी के साथ राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बैठक आयोजित कर आवश्यकता होने पर Negotiations किया जा सकता है।

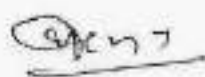
18. एजेंसी को निविदा देना (Award of Contract to Agency):-

L-1 एजेंसी को Contract Award किया जाएगा तथा जिन एजेंसियों की वित्तीय निविदा Non-Responsive to the Requirement of the Request for Proposal (RFP) होगी, उनको इसके संबंध में सूचित किया जाएगा। L-1 एजेंसी द्वारा परिशिष्ट-9 पर संलग्नानुसार प्रपत्र में शर्तों रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के साथ अनुबंध करना होगा तथा निर्धारित स्थान व दिनांक के अनुसार कार्य आरम्भ करना होगा।

19. गोपनीयता (Confidentiality) :- जब तक विजेता L-1 एजेंसी (Winner Agency) को Notified and Award Contract नहीं होता तब तक बिड प्रस्ताव के मूल्यांकन एवं Recommendations Concerning awards से संबंधित सूचना को गोपनीय रखा जाएगा तथा बिड प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली एजेंसियों एवं व्यक्तियों, जो बिड कार्यालय से संबंधित नहीं हैं, के लिए Disclosed नहीं किया जाएगा।

20. विवाद का निपटारा (Settlement of Disputes) :- निविदा से संबंधित विवादों का निपटारा बातचीत के माध्यम से किया जाएगा। बातचीत से निपटारा नहीं होने की स्थिति में विवादस्थल मसले पर विवादस्थल मसलों के संबंध में कुल शेष शर्तों का भुगतान रीका जा सकेगा तथा विवाद निवृत्त होने पर भुगतान किया जायेगा। इस हेतु संबंधित अधिकारी का निर्णय मान्य होगा तथा इस निर्णय से असहमत होने की स्थिति में आरटीपीई एक्ट के नियमानुसार विवाद निपटारा के लिए प्रथम अपीलारी अधिकारी सचिव/प्रमुख शासन, सचिव कृषि एवं द्वितीय अपीलारी अधिकारी वित्त सचिव, होंगे। इनका का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। यदि किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जानी है तो न्यायिक क्षेत्र जयपुर रहेगा।

21. अनुबंध समाप्त की प्रक्रिया (Termination of Contract):- एजेंसी द्वारा मराला हितधारकों के लिए उद्यमता विकास कार्यक्रम (EDP) का संचालन एवं उनके लिए टेंडर होल्डिंग तक का कार्य निविदा की शर्तों के अनुसार राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मार्गदर्शन में करना होगा। एजेंसी द्वारा कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता की जाती है, तो उस स्थिति में एजेंसी का अनुबंध समाप्त करते हुए नियमानुसार अनुरासनात्मक कार्यवाही करने के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर अधिकृत होगा।









परिशिष्ट- 1

मसाला उद्यमता विकास कार्यक्रम के लिए चयनित लगार्थी नसाला हितधारकों के संबंध में जानकारी

क्र.स.	लगार्थी नय पिता का नाम	पूर्ण पता	मो. नंबर	वर्तमान व्यवसाय	व्यवसाय से कुल आय/वर्ष	ई-मेल आई डी	विविध

अभिषेक

अभिषेक

अभिषेक

परिशिष्ट-2

उद्यमता विकास कार्यक्रम के प्रशिक्षण करवाने वाले विषय विशेषज्ञ (SMS) विवरण मय Bio data (C.V)

क्र. स.	विषय विशेषज्ञ से संबंधित चाही गयी जानकारी	विषय विशेषज्ञ उपलब्ध शैक्षणिक एवं अनुभव योग्यता व अन्य जानकारी से संबंधित सूचना	साक्ष्य हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	विशेषज्ञ का नाम		
2	पूर्ण पता		
3	संस्था जिसमें कार्यरत है		
4	शैक्षणिक योग्यता		
5	कृषि/मसाला इंडीपी से संबंधित प्रशिक्षण देने का अनुभव (प्रशिक्षण देने की कार्यवाही का उल्लेख अवश्य करें)		
a	कृषि व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण देने का अनुभव		
b	कृषि प्रसंस्करण से संबंधित प्रशिक्षण देने का अनुभव		
c	मसाला व्यवसाय/ प्रसंस्करण से संबंधित प्रशिक्षण देने का अनुभव		
d	कृषि/मसाला निर्यात से संबंधित प्रशिक्षण अनुभव		
6	कृषि एवं मसाला उद्यमता विकास कार्यक्रम संचालित करने से संबंधित अन्य विशेष जानकारी		

अभिषेक

अभिषेक

अभिषेक

अभिषेक

परिशिष्ट-3

मसाला हितधारकों में मसाला उत्पादन, मसाला प्रसंस्करण, मसाला व्यवसाय एवं मसाला निर्यात की उद्यमता (Entrepreneurship) विकसित करने के लिए प्रस्तावित Training Module की विषयवस्तु का प्रशिक्षणवार विवरण—

1. MODULE I: PROGRAM ORIENTATION

1.1 About Entrepreneurship Development Programme

1.1.1 Entrepreneurship Development programme- The objective and Benefits

1.1.2 The EDP Programme Seed spices Beneficiaries

1.1.3 The EDP Programme for Others -Paid EDP

1.2 Government Scheme

1.2.1 Eligibility, Grant and Other Guidelines

1.2.2 Loan- For Expansion of existing Business

1.3 Basics of Entrepreneurship

1.3.1 History and Definition of Entrepreneurship

1.3.2 Entrepreneurship-What, Why & How

1.3.3 Various Model of Entrepreneurship

1.3.5 Self-employment

1.3.6 Rural Entrepreneurship

1.3.7 Women Entrepreneurship

1.3.8 Social Entrepreneurship

1.3.4 The Basic Characteristics of Entrepreneur - Entrepreneurial Mind

2. MODULE II: STARTING A NEW VENTURE

2.1 Problem - Opportunity Identification

2.1.4 Opportunity Recognition

2.1.1 Sources of New Idea

2.1.2 Methods of Generating an Idea

2.1.3 Creative Problem Solving

2.2 Idea Validation

2.2.2 Prototype and Minimum Viable Product (MVP)

2.2.1 Step for Validation your Business Idea

2.3 Business Plan

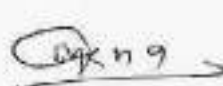
2.3.1 The Business Process Flow chart

2.3.5 Organizational Plan

2.3.4 Marketing Plan

2.3.2 Product Planning and Development

2.3.3 Financial Plan









2.4 Understanding of Business External Resources

2.4.1 Accessing Resources From External Resources

2.4.2 Legal Issues for Entrepreneurs

2.4.3 Strategic Partnerships or Tie ups for a New Venture

3. MODULE III: VARIOUS STATUTORY AND BUSINESS REGISTRATIONS

3.1 Permanent Account Number -PAN

3.2 Tax Deduction and Collection Account Number -TAN

3.3 Definition of MSME

3.4 Registration of Social Enterprise

3.5 Intellectual Property Right (IPR)

3.6 Import and Export License

3.7 ISO certification

4. MODULE IV: ENTREPRENEUR'S SKILL SETS

4.1 General

4.1.1 Understanding Entrepreneurship

4.1.2 Entrepreneurs Motivation

4.2 Personal Skill Sets

4.2.4 Time Management

4.2.5 Writing and Documentation

4.2.1 Developing Self-confidence

4.2.2 Attitude Building

4.2.3 Communication

4.3 Technical Skills

4.3.2 Goal Setting and Risk Taking

4.3.1 Entrepreneurial Competencies and It's Internalization

4.4 Managerial Skill Sets

4.4.1 Negotiation Skills/ Convincing Ability and Its Steps

4.4.2 Leadership

4.4.3 Failures & How to overcome Failures

5. MODULE V: ESTABLISHING THE ENTERPRISE

5.1 Registration & Statutory Approvals

5.1.2 How to register a organization

5.1.1 Choice of Business Organisation

5.2 Business Survey & Planning

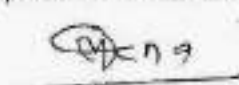
5.2.4 Environmental Analysis and Industrial Analysis

5.2.3 Strategic Planning Approach

5.2.2 Venture Analysis

5.2.1 Assessment of Chosen Activity

5.2.5 Importance of Market Survey







5.2.6 Business Plan Assessment

5.3 MIS & Internal Control System

5.3.1 Management Information System

5.3.2 Internal Control System and Procedures

5.3.3 IT in Business –ERP and Accounting System

5.4 Recruitment ,Training and Delegation

5.4.2 Job ,Recruitment & Staff Training and Motivation

5.4.1 Organisation Chart and Delegation of Duties

6. MODULE VI: OPERATING THE ENTERPRISE

6.1 Financial Management

6.1.6 Fund Management

6.1.5 Credit Sales and Account Receivables

6.1.2 Statutory Books of Accounts to be Maintained

6.1.3 Various Accounting and Billing Software and Uses

6.1.4 Understanding of Financial Statements

6.1.1 Concept of Book Keeping and Accounting

6.1.7 Operating Cycle

6.1.8 Credit Purchase and Account Payable

6.2 Production Management

6.2.1 Purchasing Techniques

6.2.2 Inventory / Material Management

6.2.3 Quality Management

6.2.4 Packaging

6.2.5 Product Life cycle

6.2.6 Costing, Pricing & Profit Assessment

6.2.7 Cost Control and Management

6.2.8 Budgeting

6.2.9 Housekeeping, Maintenance & Industrial safety

7. MODULE VII: MARKETING, BRANDING & SALESMANSHIP

7.1 How to Sell

7.1.1 Know Your Customer

7.1.2 How to Sell – Techniques

7.2 Digital Marketing & Branding

7.2.3 Branding

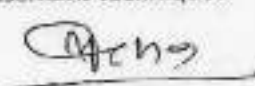
7.2.1 E-Commerce

7.2.2 Social Media Promotion

7.3 Marketing Technique and Distribution Channel

7.3.2 Business Promotion Activities

7.3.1 Advertisement techniques







7.3.3 Marketing techniques for Small Business

7.3.4 Difference between marketing of goods and services

7.4 Customer Relationship

7.4.1 Customer Relationship Management System -CRM

7.4.2 Effective and Long Term Customer Relationship

7.4.3 After Sale Service

8. MODULE VIII: UNDERSTANDING OF BANKING AND FUNDING

8.1 General Banking System

8.1.1 Understanding of General Banking System

8.2 Digital Banking Awareness

8.2.1 Various Digital Banking Platform and its applicability to Business

8.3 Understanding about Bank Loans

8.3.1 How prepare a Bankable Project Report

8.3.2 Term Loan, Project Loan and its Assessment

8.3.3 Working Capital: Assessment & Management

8.3.4 Mortgage Loan or LAP

8.3.5 Specific scheme for Small Borrowers

8.4 Understanding about deposits and Investments

8.4.1 Type of Bank Accounts and Bank Deposits

8.4.2 Investments Technique and Resources

8.5 Banking Compliance, Complaints and Creditworthiness

8.5.1 Banking Ombudsman (Banking Lokpal) A Grievances Cell

8.5.2 How to Increase Your Creditworthiness

8.5.3 CIBIL Understanding and Dispute Resolution

9. MODULE IX: TAXATION AND OTHER STATUTORY COMPLIANCES

9.1 Income Tax

9.1.5 Income Tax Deduction

9.1.3 Income Tax Slab Rate

9.1.4 Income Tax Exemption for Charitable purpose & NGO

9.1.1 Income Tax-Basic Concept

9.1.2 Compliance under Income Tax

9.3 Industrial Law and Labour Laws

9.3.3 Ministry of MSME – Internet Grievance Monitoring System

9.3.4 MSME SAMADHAN- Delayed Payment Monitoring System

9.3.1 Business Laws

9.3.2 Industrial Laws

9.4 Company Act, Partnership and Society/Trust Acts

9.4.1 Company Act & Compliance under Company Act

9.4.2 Specified Companies (Furnishing of information about payment to micro and small enterprise suppliers) Order, 2019

